आरबीई सं. 60/2025

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. ई(एनजी)I/2025/पीएम2/2 **नई दिल्ली, दिनांक 02.07.2025**

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, आदि,
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-I के पैरा 125 में संशोधन।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-I (संशोधित संस्करण 1989), प्रथम पुनर्मुद्रित संस्करण, 2009 के पैरा 125 को संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 294 के अनुसार संशोधित किया जाए।

कृपया पावती दें।

संलग्नक: अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 294

(अजय गोयल)
उप निदेशक-III/ई(एनजी)I
रेलवे बोर्ड

पांचवा तल, कमरा नं. 536-E(1), रेल भवन, नई दिल्ली-110001, ई-मेल sanjay.kumar6@gov.in

सं. ई(एनजी)I/2025/पीएम2/2 **नई दिल्ली, दिनांक 02.07.2025**

प्रतिलिपि अग्रेषित:-

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा सं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियां)।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा सं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियां)।
3. विभागीय परिषद और राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य और सचिव/कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियां)।
4. सेक्रेटरी जनरल, एफआरओए, कमरा सं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)।
5. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ, कमरा सं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)।
6. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप "ए" ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप "बी" ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप "डी" इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा सं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ।
12. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी एंड एसटी रेलवे इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।

2.7.25

कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक(औद्योगिक संबंध.)/रेलवे बोर्ड

****

भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-I

(संशोधित संस्करण 1989, प्रथम पुनर्मुद्रित संस्करण-2009)

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 294

अध्याय-I, खण्ड-'ख', उप-खण्ड-III (भर्ती और प्रशिक्षण)

पैरा 125 (1) एवं (2) को मौजूदा पैरा 125 (1) एवं (2) **(यातायात अप्रेंटिस)** में संशोधित किया गया है, जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

125 (1) **सेक्शन कंट्रोलर (वेतन स्तर-6)**

(क) रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से खुले बाजार से **60% सीधी भर्ती द्वारा।**

(ख) वेतन स्तर-2 से 6 (अनुसचिवीय कर्मचारियों को छोड़कर) में निचले ग्रेड के पात्र यातायात कर्मचारियों, जिनकी न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा हो (यदि वेतन स्तर-5 और 6 में कार्यरत हों) और 5 वर्ष की सेवा हो (यदि वेतन स्तर-2 से 4 में कार्यरत हों) से **पदोन्नति कोटा (सामान्य चयन) द्वारा 40%** पदोन्नति, जॉब प्रशिक्षण सहित 12 महीने के आरंभिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने के अध्यधीन होगी। यह पदोन्नति अ.अ.मा.स. विशिष्टियों के अनुसार मनोवैज्ञानिक परीक्षण पास करने के अध्यधीन भी होगी, वेतन स्तर-7 और 8 की उच्च ग्रेड रिक्तियों को शामिल करने के लिए रिक्तियों का निर्धारण किया जाएगा, पदोन्नति कोटे की रिक्तियों को सीधी भर्ती कोटे में परिवर्तित किया जाएगा और सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा।

(ग) सेक्शन कंट्रोलर, वेतन स्तर-6 में न्यूनतम 2 वर्ष की नियमित सेवा वाले वेतन स्तर-6 के सेक्शन कंट्रोलरों में से एपीएआर आधारित वरिष्ठता सह उपयुकतता पर **मुख्य नियंत्रक (वेतन स्तर-7) पदोन्नति कोटा द्वारा 50%,** यदि इसमें कोई रिक्ति हो तो इसे नीचे दर्शाए गए अनुसार भरा जाएगा।

अ.अ.मा.स. विशिष्टियों के अनुसार निर्धारित पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और मनोवैज्ञानिक परीक्षण को पास करने के अध्यधीन निचले ग्रेड में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले स्टेशन मास्टरों (वेतन स्तर -6), गाड़ी प्रबंधकों (वेतन स्तर -5 और 6) और सेक्शन कंट्रोलरों (वेतन स्तर -6) में से उनके लिए जिन्होंने निचले ग्रेड में पहले से ही ऐसी परीक्षा पास नहीं की है, **एलडीसीई द्वारा 50%,** खाली रिक्त पदों को सेक्शन कंट्रोलर, वेतन स्तर-6 में सीधी भर्ती कोटा से परिवर्तित किया जाएगा।

(घ) **मुख्य नियंत्रक (वेतन स्तर-8):**

वर्तमान में अपनाई जा रही व्यवस्था के अनुसार ही, अर्थात् उन सेक्शन कंट्रोलरों में से वरिष्ठता सह उपयुक्तता द्वारा, जिन्होंने वेतन स्तर-7 में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ।

(ङ) मुख्य नियंत्रक (वेतन स्तर -9):

वर्तमान में बनाई जा रही योजना के समान बिना किसी परिवर्तन के, वेतन स्तर-8 के उन सेक्शन कंट्रोलरों का गैर-कार्यात्मक अपग्रेडेशन, जिन्होंने स्तर-8 में 4 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है।

वेतन स्तर-6 में सेक्शन कंट्रोलर, के पद हेतु सीधी भर्ती के लिए पैरा 125 (2) में अहर्ताएं आदि निम्नानुसार हैं:

आयु सीमा - निर्धारित छूट के साथ 20 वर्ष और 30 वर्ष के बीच,

शैक्षिक अहर्ताएं - किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी क्षेत्र में स्नातक या समकक्ष,

चिकित्सा वर्गीकरण- ए- 2,

परीक्षा का स्वरूप - विश्लेषणात्मक, तार्किक, मानसिक तर्क क्षमताओं का मूल्यांकन।

आरंभिक प्रशिक्षण - 12 महीने (क्लास रूम + प्रैक्टिकल + 6 महीने –ऑन जॉब),

अ.अ.मा.स. विशिष्टियों के अनुसार एक अनिवार्य मनोवैज्ञानिक परीक्षण पास करना आवश्यक है।

पैरा 125 (3) को हटा दिया गया है।

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 02.07.2025 का पत्र सं.ई(एनजी)I/2025/पीएम2/2)